भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1900

06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनक्यूएएस के माध्यम से प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं

1900. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

श्री कंवर सिंह तंवर:

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

श्रीमती कमलजीत सहरावत:

श्री कीर्ति आज़ाद:

श्री बिप्लब कुमार देब:

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) के माध्यम से देश में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और पालघर जिले सहित देशभर में एनक्यूएएस से प्रमाणन प्राप्त करने वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाकेंद्रों की कुल संख्या सहित राज्य और जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न राज्यों को कोई सहायता प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए अब तक विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारत सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) को लागू किया है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक व्यापक कार्य-ढांचा है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और बढ़ाना है।

प्रारंभ में, ये मानक जिला अस्पतालों के लिए लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं सुरक्षित, रोगी-केंद्रित और सुनिश्चित गुणवत्ता की हों। इसके पश्चात, इन मानकों को उप-जिला अस्पतालों (एसडीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), आयुष्मान आरोग्य मंदिर-शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एएएम-यूपीएचसी), आयुष्मान आरोग्य मंदिर- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एएएम-पीएचसी) और आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप-केंद्रों (एएएम-एसएचसी) तक लागू किया गया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 28 जून, 2024 को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के लिए वर्चुअल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) मूल्यांकन शुरू किया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 28 जून, 2024 को परीक्षण प्रक्रियाओं और परिणामों की सटीकता और परिशुद्धता बढ़ाने के लिए एकीकृत सरकारी स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) शुरू किया है।

(ख): उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र सहित एनक्यूएएस प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 06 एनक्यूएएस राष्ट्रीय प्रमाणित सुविधाकेंद्र हैं।

(ग) और (घ) : सरकारी स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों की गुणवत्ता में सुधार सहित सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) के माध्यम से देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए, एनक्यूएएस से संबंधित गतिविधियों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण, प्रमाणन और तैनाती के लिए सहायता प्रदान की जाती है। एनक्यूएएस प्रमाणन प्राप्त करने के दौरान होने वाली कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और एनक्यूएएस प्रमाणन प्राप्त करने वाले सरकारी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों को गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, गुणवत्ता के लिए समर्पित मानव संसाधनों को तैनात करने, राज्य

और जिला गुणवत्ता आश्वासन इकाईयों को संचालित करने और राज्य और राष्ट्रीय स्तर के एनक्यूएएस मूल्यांकन आयोजित करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, एनएचएम टीआईएसएस द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य परिचर्या गुणवत्ता प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएचक्यूएम) कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों के प्रायोजन की सुविधा प्रदान करता है, जो एनक्यूएएस के उद्देश्यों के अनुरूप है।

(ङ): वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन के लिए स्वीकृत निधि और व्यय का विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

अनुलग्नक-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31 अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार कुल एनक्यूएएस प्रमाणित सुविधाकेंद्र
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	2238
3.	अरुणाचल प्रदेश	12
4.	असम	588
5.	बिहार	35
6.	चंडीगढ़	14
7.	छत्तीसगढ़	295
8.	दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली	104
9.	दिल्ली	28
10.	गोवा	16
11.	गुजरात	1584
12.	हरियाणा	326
13.	हिमाचल प्रदेश	102
14.	जम्मू एवं कश्मीर	33
15.	झारखंड	219
16.	कर्नाटक	913
17.	केरल	247
18.	लद्दाख	9
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	1997
21.	महाराष्ट्र	104
22.	मणिपुर	6
23.	मेघालय	2
24.	मिजोरम	18
25.	नगालैंड	23
26.	ओडिशा	866
27.	पुदुचेरी	6
28.	पंजाब	296
29.	राजस्थान	674
30.	सिक्किम	18
31.	तमिलनाडु	965
32.	तेलंगाना	645
33.	त्रिपुरा	64
34.	उत्तर प्रदेश	967
35.	उत्तराखंड	22
36.	पश्चिम बंगाल	3152
कुल		16588

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन और गुणवत्ता आश्वासन पर व्यय

(रु. करोड़ में.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.14	0.00
2	आंध्र प्रदेश	49.44	16.69
3	अरुणाचल प्रदेश	3.51	0.40
4	असम	32.27	22.91
5	बिहार	22.73	16.10
6	चंडीगढ़	1.47	0.75
7	छत्तीसगढ़	16.67	10.04
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1.28	0.06
9	दिल्ली	18.06	2.27
10	गोवा	2.92	1.21
11	गुजरात	41.43	42.96
12	हरियाणा	10.68	9.89
13	हिमाचल प्रदेश	15.16	5.94
14	जम्मू और कश्मीर	8.31	3.69
15	झारखंड	11.26	23.78
16	कर्नाटक	36.29	21.32
17	केरल	49.04	7.77
18	लक्षद्वीप	0.32	0.00
19	मध्य प्रदेश	129.59	115.28
20	महाराष्ट्र	56.09	13.41
21	मणिपुर	5.81	0.69
22	मेघालय	3.31	0.25
23	मिजोरम	3.46	1.47
24	नगालैंड	5.52	0.51
25	ओडिशा	40.63	24.02
26	पुदुचेरी	2.35	0.39
27	पंजाब	16.31	16.31
28	राजस्थान	154.59	75.22
29	सिक्किम	2.68	2.06
30	तमिलनाडु	116.25	28.65
31	तेलंगाना	33.62	6.68
32	त्रिपुरा	8.76	6.48
33	उत्तर प्रदेश	463.47	260.14
34	उत्तराखंड	9.01	3.58
35	पश्चिम बंगाल	36.61	23.40
36	लद्दाख	1.84	0.88
कुल		1,410.901	765.188

नोट:

1. एसपीआईपी अनुमोदन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार है और अनंतिम है।

*****